

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

सम्बद्धता दिनांक: 12-09-2023

-कार्यालय भाषा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघान्वित विभिन्न राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदित विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संस्था दिनांक 15-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक से सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदित विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा शेष गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित परीक्षा क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4855-MISSION COLLEGE OF PHARMACY, VARANASI

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिटेन्स/सीटों/ईए/ सीटों/एडमिटेन्स द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित परीक्षा क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित परीक्षा क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-2099/9/2022 टीएमओ-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघान्वित संघगत संस्थानों की तंत्र के विस्तृत मानकीय न्यायवाचन में घोषित विट प्राविधिक संख्या 5027/2023 में राष्ट्रीय न्यायवाचन के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के तन्त्रण के अनुक्रम संस्थान में सम्मेलन संसाधन (भूमि, भवन, जल उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982, विनियमकारी-2000, रोलेन्ट विनियमकारी-2016 तथा समस्त समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण शर्तिया द्वारा निर्धारित शुल्क ही परीक्षा प्रायश्चित्त में वापस किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रायश्चित्तों से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पढ़ानी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फिल निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु कोड का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फिल की जर्नल/सत्र पर लागू होगी।
- ✓ संस्था से अनुमत परीक्षा परीषद द्वारा अर्जित करने की ही परीक्षा दिये जायेगा।
- ✓ संस्था को समस्त समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधानी/प्रतिविधानी/शासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, अनुक्रम परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कलचे गये शिक्षकों, विजिलानों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित निरसन किया जाता है तो इस अवधि में सम्मेलन उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, अनुक्रम परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विस्तृत यदि कोई भी बात दायर किया जाता है तब तब तक के संबंध में ज्ञा. न्यायवाचन द्वारा किसी प्रकार की परीचुति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो तत्पश्चात् प्रतिचुति संबंधित संस्था को कसनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुमत परीक्षा परीषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा परीक्षा एवं के लिए अनिवारित परीक्षा हेतु अनुमोदित/निर्गत प्राप्त होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित प्राप्त वत परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हीं परीक्षा की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा हेतु समस्त समय पर निर्गत शासनादेश आदेशों विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने लेखांकित तथा प्राविधिक शिक्षा के दृष्टांत परीक्षा पर संस्था की सम्मेलन सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, भवन, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, प्रायश्चित्त शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9437

लखनऊ दिनांक: 27/09/2022

:कार्यालय ज्ञापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 27/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4868-MISSION COLLEGE OF PHARMACY, VARANASI

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाये गये विधियों

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघानित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4868-MISSION COLLEGE OF PHARMACY, VARANASI

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार